संख्या- 27 **/2026/I/** 1253692 **/2026/71-1002/27/2024**

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 27 **फरवरी, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/416, दिनॉक 31.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2210-05-001-03-निदेशन तथा प्रशासन हेतु विभिन्न मानक मदों में सम्भावित बचत रू0 97.60 लाख को राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2210-05-001-03-निदेशन तथा प्रशासन के विभिन्न मानक मदों में रू0 97.60 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष लेखाशीर्षक 2210-05-001-03-निदेशन तथा प्रशासन के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि कुल **रू0 24.50 लाख (रू0 चौबीस लाख पचास हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
4. पुनर्विनियोग के माध्यम से की गयी अतिरिक्त मांग की धनराशि के आंकलन/शुद्धता/सत्यता के सम्बन्ध में महानिदेशक स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
5. प्रश्नगत प्रकरण में अगर कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक स्वयं संतुष्ट उत्तरदायी होंगे।
6. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2210050010300 (निदेशन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210050010300 निदेशन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
2	031	2210050010300 निदेशन	13 टेलीफोन पर व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
3	031	2210050010300 निदेशन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	031	2210050010300 निदेशन	18 प्रकाशन	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
5	031	2210050010300 निदेशन	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
6	031	2210050010300 निदेशन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**24,50,000 (रुपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र)**
महायोग				24,50,000 (रुपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by ANAND KUMAR TRIPATHI
Date: 27-02-2026 14:55:47

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय,चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20252026-71-1002-27-2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 97.60 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

,,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210050010300 (निदेशन)	55 (मकान किराया भत्ता)	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	24,50,000 रुपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र	35,50,000 रुपये पैंतीस लाख पचास हजार मात्र	2025-2026
031	2210050010300 (निदेशन)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	31,00,000 रुपये इकतीस लाख मात्र	31,00,000 रुपये इकतीस लाख मात्र	0 शून्य	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	2025-2026
031	2210050010300 (निदेशन)	06 (अन्य भत्ते)	38,00,000 रुपये अड़तीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	0 शून्य	38,00,000 रुपये अड़तीस लाख मात्र	2025-2026
031	2210050010300 (निदेशन)	03 (मंहगाई भत्ता)	3,90,00,000 रुपये तीन करोड़ नब्बे लाख मात्र	96,60,000 रुपये छियानबे लाख साठ हजार मात्र	16,60,000 रुपये सोलह लाख साठ हजार मात्र	0 शून्य	3,90,00,000 रुपये तीन करोड़ नब्बे लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 97,60,000	₹ 24,50,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

,,,,,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	22100500103000	47	15,00,000	49,50,000	10,00,000	25,00,000	2025-2026

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
	(निदेशन)	(कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	रुपये पन्द्रह लाख मात्र	रुपये उनचास लाख पचास हजार मात्र	रुपये दस लाख मात्र	रुपये पच्चीस लाख मात्र	
031	2210050010300 (निदेशन)	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	12,00,000 रुपये बारह लाख मात्र	2025-2026
031	2210050010300 (निदेशन)	18 (प्रकाशन)	1,60,000 रुपये एक लाख साठ हजार मात्र	3,80,000 रुपये तीन लाख अस्सी हजार मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	2,60,000 रुपये दो लाख साठ हजार मात्र	2025-2026
031	2210050010300 (निदेशन)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	34,00,000 रुपये चौंतीस लाख मात्र	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	44,00,000 रुपये चौवालीस लाख मात्र	2025-2026
031	2210050010300 (निदेशन)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	2,70,000 रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	3,20,000 रुपये तीन लाख बीस हजार मात्र	2025-2026
031	2210050010300 (निदेशन)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	3,30,000 रुपये तीन लाख तीस हजार मात्र	4,60,000 रुपये चार लाख साठ हजार मात्र	0 शून्य	3,30,000 रुपये तीन लाख तीस हजार मात्र	2025-2026
031	2210050010300 (निदेशन)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	8,50,000 रुपये आठ लाख पचास हजार मात्र	2,70,000 रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	9,50,000 रुपये नौ लाख पचास हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 97,60,000	₹ 24,50,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2210-05-001-0300-निदेशन के अन्तर्गत मानक मद-03-महँगाई भत्ता में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 16.60 लाख, मानक मद-06-अन्य भत्ते में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 20.00 लाख, मानक मद-55- मकान किराया भत्ता में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 30.00 लाख तथा मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 31.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 97.60 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में निदेशालय में सृजित/लम्बित देयताओं हेतु आगामी 06 माह के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2210-05-001-03-निदेशन तथा प्रशासन हेतु मानक मद-11-लेखन सामग्री और फर्मों की छपाई में रू0 2.70 लाख, मानक मद-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में रू0 4.60 लाख, मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय में रू० 1.00 लाख, मानक मद-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 30.00 लाख, मानक मद-18-प्रकाशन में रू0 3.80 लाख, मानक मद-46-कम्पयूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का कय में रू0 6.00 लाख तथा मानक मद-47-कम्पयूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का कय में रू0 49.50 लाख, इस प्रकार कुल रू0 97.60 लाख की पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-304-E-3-263-X-2025-26-दिनांक: 11-02-2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)
सचिव।

संख्या : / , दिनांक- फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।